निर्णय व इजलास अन्तर सिह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 104/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. डॉ॰चौधरी मुनव्वर खान पुत्र श्री उमर मोहम्मद
2. डॉ॰ श्रीमती निकहत चौधरी पत्नी डॉ॰ चौधरी मुनव्वर खान

समस्त जाति मुसलमान, निवासीगण मकान नं॰1567, खाचरियावास हाउस, गंगापोल गेट, जयपुर, राजस्थान।

प्रार्थीगण पार्टी नं॰ 2

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक जयपुर, जिला जयपुर ।
2. महेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व॰ श्री लक्ष्मीनारायण यादव
3. अरविन्द कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद यादव
4. राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र स्व॰ श्री लक्ष्मीनारायण यादव

समस्त निवासीगण–मकान नं॰ 36–ए, तारानगर, पुलिस थाना झोटवाडा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

अन्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 411 दण्ड प्रकिया संहिता 1973 बाबत प्रकरण संख्या 02/2006 व उनवानी सरकार बनाम महावीर प्रसाद यादव व अन्य अन्तर्गत धारा 145/146 दण्ड प्रकिया संहिता उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेर जिला जयपुर के पीठासीन अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त कटारा से अन्य किसी सक्षम न्यायालय में अन्तरित किसे जाने हेतु।

उपस्थितः–

1. श्री के॰डी॰शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री एन॰ के॰ यादव अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 12.01.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उप खण्ड मजिस्ट्रेट आमेर के समक्ष दिनांक 23.06.2006 को पुलिस थाना चंदवाजी ने धारा 145/146 जाब्ता फौजदारी का एक वाद प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 02/2006 व उनवानी सरकार बनाम महावीर प्रसाद दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। विपक्षी संख्या 4 की ओर श्री एन॰के॰यादव अधिवक्ता उपस्थित है ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने धारा 145 (1) जाब्ता फौजदारी के तहत आदेश पारित किया तथा दिनांक 20.07.2006 को आपातिक स्थिति समझते हुये जाब्ता फौजदारी धारा 146 के अन्तर्गत विवादित सम्पत्ति को कुर्क कर तहसीलदार आमेर को रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित किया तथा दिनांक 24.07.2006 को तहसीलदार आमेर/रिसीवर ने वादग्रस्त सम्पत्ति को अपने कब्जे व नियंत्रण में ले लिया। दौराने कार्यवाही महावीर प्रसाद यादव व जुनेद जिया का स्वर्गवास हो गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25.02.2003 को गवाहों की सूची पेश की गई तथा गवाहान के सम्मन करने हेतु निवेदन किया, परन्तु दिनांक 31.03.2010 को अधीनस्थ न्यायालय ने यह आदेश दिया कि पहले पक्षकारान के गवाहान लिये जावे तत्पश्चात गवाहों की सूची के अनुसार गवाहान तलब किये जावे। दिनांक 23.01.2012 को प्रार्थी डॉ॰ चौधरी मुनव्वर खान की मुख्य परीक्षा की गई, जो दिनांक 7.12.2012 एव 11.12.2012 को बदस्तूर रही तथा दिनांक 02.01.2013 पार्टी नम्बर 1 द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया एवं दिनांक 02.01.2013 से 25.01.2020 तक की तारीख पेशियों पर गौर किया जावे तो स्पष्ट होगा कि 250 तारीख पेशियों पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्यो में व्यस्त रहे है तथा 50 तारीख पेशियों पर पार्टी नम्बर 3 ने प्रतिपरीक्षण के लिए मौका चाहा। दिनांक 03.01.2014 को मैसर्स वृद्वावन धाम बिल्डवे (इण्डिया) प्रा॰ लि॰ की ओर से पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 तथा धारा 151 सी.पी.सी॰ के तहत पेश किया। जिसका पार्टी नम्बर 2 ने जबाब पेश किया तथा न्यायालय द्वारा बहस सुनने के पश्चात दिनांक 20.02.2014 को मैसर्स वृद्वावन धाम बिल्डवे (इण्डिया) प्रा॰ लि॰ ने उक्त प्रार्थना पत्र विड्रो कर लिया गया । उक्त प्रकरण में दिनांक 04.05.2015 को राजेन्द्र प्रसाद यादव की ओर से सुश्री रूबी खान एवं समीना खान आदि ने वकालतनामा पेश किया जिसका उल्लेख आर्डरशीट पर है। दिनांक 23.09.2000 को प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में श्री लालचन्द एटवोकेट द्वारा मैसर्स वृद्वावन धाम बिल्डवे (इण्डिया) प्रा॰ लि॰ की ओर से पैरवी हेतु वकालतनामा पेश किया जिसके संबंध में आपत्ति पत्र/एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 30.09.2020 को प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनी, लेकिन उक्त आपत्ति पर कोई आदेश नहीं सुनाया । दिनांक 18.11.2020 को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के आपत्ति पत्र को दिनांक 30.09.2020 के संबंध में कोई आदेश नहीं लिखाया तथा प्रार्थीगण के साक्ष्य बन्द करने की धमकी दी। दिनांक 25.11.2020 को पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त रहे तथा दिनांक 02.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय ने सभी प्रकरणों में पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से तारीख पेशिंया दी गई, लेकिन प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण सुनवाई हेतु लम्बित रखा। यद्वपि पार्टी नम्बर 3 के राजेन्द्र प्रसाद यादव ने दिनांक 04.05.2015 को अपना अभिभाषक नियुक्त किया । उपरोक्त स्थिती में अन्य किसी वकील को उसकी ओर से पैरवी करने का हक व अधिकार नही है, लेकिन श्री नरेन्द्र कुमार यादव जो कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आमेर के चैम्बर के बाहर ही बैठते है तथा वही पर उनके बैठने का स्थान है । उक्त पीठासीन अधिकारी का चैम्बर में आना जाना रहता है। दिनांक 2.12.2020 को जब अन्य प्रकरणों में रीडर द्वारा पीठासीन अधिकारी के नहीं होने से आगामी तारीख पेशी दी जा रही थी, तब प्रार्थी ने भी रीडर से अपने प्रकरण के बारे में पूछा, तो श्री नरेन्द्र कुमार यादव एडवोकेट जिनके द्वारा पूर्व में

जिला मजिस्ट्रेट (फिलहाल) जयपुर

मैसर्स वृद्दावन धाम बिल्डवे (इण्डिया) प्रा॰ लि॰ की ओर से वकलातनामा पेश किया था, प्रार्थी से बोले की पीठासीन अधिकारी से बात हो चुकी है और इस प्रकरण के लिए साहब 12.00 बजे आयेगें और आज ही प्रार्थी की साक्ष्य बंद कर मामले को खारिज करेंगे। इसरो स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में मैसर्स वृद्दावन धाम बिल्डवे (इण्डिया) प्रा॰ लि॰ ने उक्त पीठासीन अधिकारी से प्रकरण को खारिज कराने के लिये तय कर रखा है । प्रार्थी के पास उपरोक्त संबंध में कई व्यक्तियों के टेलीफोन भी आ चुके है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेर लगभग 12.00 बजे न्यायालय में आये और राजेन्द्र कुमार की ओर से उपस्थित अभिभाषक सुश्री रूबी खान व समीना खान दोनों को पैरवी करने से मना कर दिया तथा राजेन्द्र कुमार की ओर से प्रार्थी से मैसर्स वृद्दावन धाम बिल्डवे (इण्डिया) प्रा॰ लि॰ के अभिभाषक द्वारा प्रति परीक्षण करवाया । आवेश में आकर पीठासीन अधिकारी ने साक्ष्य बंद करने की धमकी दी तथा गवाहान की तलबी करने को मना कर दिया तथा उक्त मामले में अत्यधिक उत्सुकता दिखाई। पीठासीन अधिकारी का यह रवैया पक्षपात पूर्ण रहा। पीठासीन अधिकारी ना तो न्यायालय मे बैठते है तथा प्रार्थी को धूम में बैठाये रखते हे। प्रार्थी की ओर से गवाहन की सूची सम्मन किये जाना तथा न्यायालय के पूर्व के आदेश दिनांक 31.03.2010 का उल्लेख किया तो पीठासीन अधिकारी द्वारा पार्टी नम्बर 1 व उसके अभिभाषक से अभद्रता की । प्रार्थी की ओर से अन्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर कोई विचार नहीं किया और कहा कि खारिज करूँगा । उपखण्ड मजिस्ट्रेट का टेम्पर काफी लूज है तथा पूर्व में ही उक्त प्रकरण को निरस्त करने का मानस बना रखा है। मैसर्स वृद्दावन धाम बिल्डवे (इण्डिया) प्रा॰ लि॰ के अभिभाषक श्री नरेन्द्र कुमार यादव को स्पेशल ट्रीटमेन्ट दिया जाता है तथा पीठासीन अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त कटारा जी पूर्ण रूप से कानून के विपरीत कार्य कर रहे है जिससे उक्त प्रकरण में निष्पक्ष व स्वच्छ जांच यानी विचारण नहीं किया जा रहा है। दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 407 में वर्णित अन्तरित करने के जो आधार वर्णित किये है वह वर्तमान प्रकरण में लागू होते हे। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी न्यायालय मे खुद अपनी राय जाहिर करते है कि उक्त प्रकरण की विवादित भूमि से प्रार्थीगण का कोई लेन देन नही है। जबकि अप्रार्थीगण के विरूद्व इकरारनामें के विपरीत कार्य करने के संबंध में धारा 420 आई पी सी का प्रकरण लम्बित है तथा आरोप विरचित किये जा चुके है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण के विचारण में बडी उत्सुकता एवं विशेष रूची ले रहे है तथा युक्ति युक्त आशंका है कि प्रार्थीगण के साथ न्याय नहीं होगा व पीठासीन अधिकारी से अन्याय की आशा है। प्रार्थी के अन्तरण प्रार्थना पत्र के बावजूद सुनवाई करने से पीठासीन अधिकारी की बदनियति साबित होती है और उनकी विशेष रूचि का पता पडता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेर के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है और ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण को उक्त न्यायालय से न्याय नही मिल सकता है। अत उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेर से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

6. अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेर के समक्ष प्रकरण वर्ष 2006 से विचाराधीन है। प्रार्थीगण ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने की नियत से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रकरण काफी पुराना होने से ही पीठासीन अधिकारी महोदय इस प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही करते हुये जल्दी

सुनवाई कर रहे है। इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे और यदि फिर भी मान्य न्यायालय को यदि अन्य न्यायालय में अन्तरण किया जाना उचित लगता है, तो प्रकरण के निस्तारण के लिए समय निर्धारित किया जाकर किसी भी न्यायालय में स्थानान्तरण कर दिया जावे।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहान की सूची के अनुसार सम्मन जारी करने से इन्कार किया है और प्रार्थीगण को स्वयं को गवाहन पेश करने के आदेश दिये गये है जो उचित नहीं है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेर से टिप्पणी तलब की गई थी, किन्तु आज दिनाक तक प्राप्त नही हुई है। इस प्रकार प्रार्थी के कथन को बल मिलता है। प्रार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेर के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। जयपुर मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को स्थानान्तरित किया जा सकता है इसमें किसी पक्षकार को असुविधा भी नही होगी। परिणामतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2006 व उनवानी सरकार बनाम महावीर प्रसाद व अन्य को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय में मुन्तकिल किया जाता है। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त समय दे कर प्रकरण का यथा सम्भव 6 माह में मैरिट एवं गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

9. पक्षकारान दिनांक 27.01.2021 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय के समक्ष अग्रिम सुनवाई हेतु उपस्थित हो। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर